



संख्या : 5013 / जी0एस0(शिक्षा) / A3-55(6) / 2026

प्रेषक,

रीना जोशी,  
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,  
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून, दिनांक 31 अगस्त, 2026

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव पंजीकरण क्रमांक 260307011948, दिनांक 23.05.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर को बी0एससी0(जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

| क्रमांक | महाविद्यालय/संस्थान का नाम                                                | पाठ्यक्रम का नाम                                            | प्रवेश क्षमता<br>(कुलपति की संस्तुतिनुसार) | नवीन अस्थाई<br>सम्बद्धता की अवधि |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 2                                                                         | 3                                                           | 4                                          | 5                                |
| 01      | श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर। | बी0एससी0<br>(जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान) | 60 सीट प्रति विषय                          | 2026-27                          |

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- "प्रश्नगत प्रस्ताव पर निर्णय मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका 2479/2025, दिनांक 26.08.2025 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश में संस्थान को प्रदान की गई अंतरिम राहत के क्रम में लिया जा रहा है। विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि संस्थान से प्राप्ति राशि हेतु निर्धारित मानकों/प्रक्रियाओं का

अनुपालन करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे, ताकि असामान्य परिस्थितियों में संस्थान को बिना किसी सहायता एवं बाहरी स्रोत के संचालित कराते हुए अध्ययनरत् छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके।”

- विश्वविद्यालय, संस्थान से यू0जी0सी0 विनियम, 2009 के उपनियम 3.4.7 में निहित व्यवस्था का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेगा।
- संस्थान में पुस्तकें मानकानुसार पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Digitally signed by  
Reena Joshi  
Date: 29-08-2026  
11:28:37  
(Reena Joshi)  
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या : 56/3 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-55(6)/2026 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य- सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

Digitally signed by  
Shri Laxman Ram Arya  
Date: 31-08-2026  
11:10:58  
(सिद्धम राम आर्य)  
कुलाधिपति के उपसचिव।